

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की उमरती प्रवृत्तियाँ

संवैधानिक चुनौतियाँ

Emerging Trends and Challenges before Indian Political System.

समकालीन परिस्थितियाँ किसी भी देश की राज व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। जैसे- वृ परिस्थितियों में परिवर्तन आता है वैसे- वैसे देश की राजनीति तथा राज्य व्यवस्था में भी परिवर्तन आता है। भारत में इस प्राकृतिक सिद्धान्त से अलग नहीं है और भारत की परिस्थितियों ने भी राजनीति को बहुत प्रभावित किया है। संविधान द्वारा भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया है। सन् 1952 से लेकर अब तक देश में 16 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त अब तक विभिन्न राज्यों में विधानसभाओं के भी चुनाव हो चुके हैं। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक प्रभुसत्ता-सम्पन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्रीय गणराज्य घोषित किया गया है। प्रस्तावना में ही नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की ~~संरक्षण~~ स्थापना का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। संविधान के लागू होने से लेकर 1967 तक कांग्रेस देश की राजनीति पर दार्ढ्य रही, लेकिन उसके पश्चात् देश की राज व्यवस्था में कई प्रकार के परिवर्तन आए। 1967 में पहली बार केरल में गैर-कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया। इस गठन के पश्चात् लगातार भारतीय राजनीति तथा राज्य-व्यवस्था में नवीन प्रवृत्तियाँ उमर रही हैं जिनका अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है।

1) एक दल की प्रधानता की पुनर्स्थापना :-

भारतीय राष्ट्रीय

कांग्रेस ने देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जिसके कारण संविधान के लागू होने के शुरु के कई वर्षों तक देश की राजनीति में एक दल का प्रभुत्व

From the desk of

1952 से 1967 तक केन्द्र तथा सभी राज्यों (केवल केरल को छोड़ कर इसी दल की सरकारें थीं)। सन् 1977 में हुए लोकसभा चुनावों के पश्चात् पहली बार केन्द्र में गैर-काँग्रेसी (जनता पार्टी) की सरकार बनी, परन्तु आपसी फूट के कारण यह पार्टी अधिक समय तक सत्ता में नहीं रह सकी और 1980 में पुनः काँग्रेस सत्ता में आ गई। 1989 में किसी भी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। राष्ट्रीय मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी तथा कई अन्य राज. दलों के समर्थन से गठवापन सरकार बनाई थी जो अधिक समय तक नहीं टिक पाई। यह बिलबिलाना कई वर्षों तक चला श्री चन्द्रशेखर की सरकार, म.ड. देवगोडा की सरकार, इन्दुसुमार गुजराल की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केवल छोड़-के इसी समय के लिए बनी लेकिन वाप के पश्चात् इस स्थिति में परिवर्तन हुआ। BJP ने लोकसभा में अकेले गठने का पर पूर्ण बहुमत से अपना प्रमुख स्थापित कर लिया हालांकि सरकार का गठन अन्य सहयोगी दलों के साथ मिलकर किया परन्तु एक बार पुनः 1967 से पूर्व तक काँग्रेस के प्रमुख वाली स्थिति को भारतीय जनता पार्टी ने 16 वीं लोकसभा चुनाव के बाद फिर स्थापित कर दिया है।

2) गणतंत्र क्षेत्रीय दलों का उगारना :->

Congress पार्टी के कमजोर होने के परिणाम स्वरूप भारतीय राजनीति में एक अन्य प्रवृत्ति उभरकर सामने आई है वह है शक्तिशाली क्षेत्रीय दल। 1967 में हुए चौथे आम चुनावों के पश्चात् कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारें बनने के कारण क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ने लगा। 1989 में जो प्रथम विपक्षी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी तेलुगु-देशम हीथ V.P. Singh की सरकार क्षेत्रीय दलों के सहयोग से बनी थी 1991 में काँग्रेस पार्टी ने प्रमुख क्षेत्रीय दल अन्ना द्रमुक के बाहरी समर्थन से सरकार बनाई थी। 16 वीं L.S. चुनावों के पश्चात् राज. पा. के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठवापन सरकार में भी 12 क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधि शामिल थे। 17. L.S. चुनावों में BJP में 29 सहयोगी दल शामिल थे।

From the desk of

अब कोई भी राष्ट्रीय दल अकेले संपूर्ण बहुमत प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकता। इस प्रकार क्षेत्रीय दलों की बढ़ती हुई भूमिका ने राजनीतिक स्थिति को तोंड दिया है।

(3) मिली-जुली सरकार के युग का आरम्भ :- 1977 के बाद से केन्द्र

में मिली जुली सरकारों का युग आरम्भ हुआ। 1977 में चार सप्ताहों में मिल कर जनता पार्टी का गठन किया। इसके पश्चात् U.P. Singh, अटल बिहारी वाजपेयी, 12वीं L.S., 13वीं L.S., 14वीं L.S., 15वीं L.S. सभी गठबन्धन वाली सरकारें थीं। 16वीं L.S. और 17वीं L.S. में पश्चिमी B.J.P. को पूर्ण बहुमत अपने दम पर प्राप्त हुआ परन्तु मिश्रित सरकार का गठन किया गया है। इसी तरह गठबन्धन की प्रवृत्ति से राज्य सरकारें भी अलग नहीं हैं।

(4) केन्द्र राज्य सम्बन्धों में परिवर्तन की मांग :

अनेक क्षेत्रीय दलों के अपने राज्यों में रहना आ जाने के कारण क्षेत्रीय मांगों और आकांक्षाओं को बहुत बढ़ावा मिला है। जनता राष्ट्रीय दलों के पुकावले में क्षेत्रीय दलों को अपने नजदीक मानने लगी है। इस कारण से केन्द्र तथा राज्यों के आपसी सम्बन्धों में परिवर्तन करके राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने की मांग जोर पकड़ने लगी। स्पष्ट है वर्तमान में राज्यों की निरन्तर बढ़ती स्वायत्तता की मांग केन्द्र सरकार के लिए एक चुनौती बन गई है।

(5) भारतीय संघ में नए राज्यों की मांग :

भारत में प्रारम्भ से ही जाति, भाषा, धर्म तथा आर्थिक पिछड़ेपन के कारण विभिन्न क्षेत्रों द्वारा प्रथम राज्य की मांगें सन् 1956 पर उठाई गई तथा माधोराज किया गया। भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया गया परन्तु अभी भी समस्या हल नहीं हुई और अल्प मांगें सामने आईं अभी भी देश के विभिन्न भागों जैसे मध्य प्रदेश में विदर्भ, कर्नाटक में कोडवा, असम में बोडो लॉण्ड, UP में हरिद्वार प्रदेश आदि राज्य बनाने की मांगें सामने लगी आई हैं। इस तरह भारतीय संघ में नए राज्यों की निरन्तर बढ़ती मांगें संघ आन्दोलनों ने एक नई शक्ति प्रदान की है।

6) सरकार के गठन के लिए राठ दलों के द्वारा असहकारितात्मक समझौते एक सामान्य बात हो गई है। प्रायः सभी राठ दल सत्ता में भागीदारी के लिए ऐसे समझौते करने के लिए तैयार रहते हैं। 1980 में सभी दलों ने सिद्धांतहीन समझौते किए। 1988 में L.S चुनावों में जनता दल ने साम्प्रदायी दल तथा B.J.P के साथ समझौता किया। Congress में केरल में मुस्लिम लीग व तमिलनाडु में AI DM K के साथ, B.J.P ने हरियाणा में हरियाणा विकास पार्टी के साथ महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ, पंजाब में अकाली दल के साथ असहकारितात्मक समझौते किए।

7) शक्तिशाली विरोधी दल का अर्थ :- सन् 1967 तक केन्द्र तथा उपत्यका राज्यों में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा और संगठित विरोधी दल का पूर्ण अभाव था। 1988 में हुए L.S चुनावों में B.J.P जो Congress का प्रमुख दौरे का दावा करती थी केवल 10% स्थान प्राप्त कर सकी। 16 वीं L.S चुनावों में मोरचों के अल्प राठ दल सदन की कुल संख्या का 10% स्थान भी प्राप्त नहीं कर सका है। इस प्रकार मां राजनीति में शक्तिशाली विरोधी दल का अर्थ हो चुका है।

8) भारतीय राठ का अपराधीकरण :- भारत में बहुदलीय प्रणाली होने के कारण पिछले लगभग 25 वर्षों से गठबन्धन सरकारें बनने लगी हैं इन गठबन्धन सरकारों के निर्माण में कुछ राठ दल साथ, दाग, दण्ड, भेद रूपी पाठशुल्क नीति के दुर्गुणों का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। इसके परिणामस्वरूप अपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी चुनाव जीतने लगे हैं वे न केवल जनप्रतिनिधि मण्डल मंत्री भी बन जाते हैं। समाज में अनेकों ही अपराधों के दोषी प्रत्येक राठ दल में मौजूद हैं जो देश की राठ में सन्निधि हैं।

9) भारतीय राठ में जातिवाद की भूमिका :- वैसे तो भारत की राठ में जातिवाद की भूमिका का आरम्भ 1909 में कांग्रेसी शासन द्वारा किया गया था परन्तु सविधान के द्वारा जातिवाद के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था ने इसे और अधिक मजबूत बना दिया। चुनावों में, उम्मीदवारों का चयन करते, वोट मांगते में जातिवाद का प्रभुत्व प्रकट किया जा रहा है। एक बार जयप्रकाश नारायण ने कहा था "भारत में जाति एक गहवर्षी राठ दल है।"

10) भारतीय राज में सम्प्रदायवाद की श्रुतिका :-

यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज भी राज उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं का प्रयोग किया जाता है। भारत में DMK, मुस्लिम लीग, अम्बाली दल, हिन्दू महासभा, शिवसेना विभिन्न रूप से राज गठन धर्म के माध्यम पर किया गया है। इन प्रकार सम्प्रदायिकता भारतीय राज के लक्षण एक चुनौती है।

11) राज दलों में अनुशासन का अभाव :-

राज दलों के सदस्य अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए दल में अनुशासन की परवाह नहीं करते। वे अनेक आंदोलन हैं जब दल के एक सदस्य को चुनाव के लिए टिकट नहीं मिलता तो वह दल से त्याग-पत्र देकर अपने ही दल के उत्पत्तियों के विरुद्ध चुनाव में खड़ा हो जाता है।

12) राजनीतिक भ्रष्टाचार :- भारतीय राज व्यवस्था में एक

अल्प उचित देश में बहुत ही भ्रष्टाचार है। चुनावों के समय प्रत्येक राज दल तथा उम्मीदवार कुत्तों रूप में खर्च करते हैं फिर स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपनी कुत्तों तथा स्थिति का प्रयोग धन को इकट्ठा करने के लिए करते हैं। बौद्धिकता का मामला, हर्षद ने हला का मामला, दूर-संचार घोटाला, चीनी घोटाला हजारों करोड़ गाड़ी। यह व्यवस्था सरकार तथा जनसाधारणों के लिए चुनौती बनी हुई है।

13) सत्तापक्ष दल में असंतुष्ट गट :-

14) भारतीय वाद विवाद में मुजालमन हास

15) धर्मशक्ति की बढ़ती शक्ति

16) राज दलों की संरचना तथा स्वरूप

17) हिन्दू की पहचान

(20) सरकार का बाहर से समर्थन करने की प्रवृत्ति
 उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि
 भारतीय राज व्यवस्था में गिरावट नर्तक प्रवृत्तियाँ पैदा हो रही हैं
 लेकिन ये नकारात्मक अधिक हैं जो चुनौती के रूप में
 राष्ट्र के समक्ष खड़ी हैं। भारतीय राजनीति सिद्धान्तों में
 अकस्मात्प्रायी हो गई है जिसमें धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र आदि
 तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। गलत वर्तमान में
 आवश्यकता इस बात की है कि हमारे राजनेता, बुद्धिजीवी, वकील
 जनसामान्य मिल कर बेकाबू बालावस्था बमूसा कि सभी संविधानों
 को समाप्त कर व्यापक राष्ट्रीय दिनों में रक्षा करने वाले
 विचारधारा की ओर बढ़ें।

||